बिहार विधान सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि २८ जुलाई, १९५२।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि २८ जुलाई १९५२ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विंध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

LILA DEEP TRUST

116. SHRI RAMESH JHA: Will the Minister in charge of the Judicial Department be pleased to state—

(*a*) the total gross income from all sources per annum of Lila Deep Trust Estate from the time the Estate came into the possession of the Official Trustee;

(*b*) the total collection and management charges per annum during the above period of the said Trust Estate;

(*c*) the saving per annum during the above period in the said Trust Estate;

(*d*) whether any portion of the accumulated savings of the said Trust Estate has been utilized so far for any of the purposes of the Trust;

(*e*) if the answer to clause (*d*) be in the affirmative, what are the name or names of Institutions or the purposes for which the accumulated savings or any portion thereof has been utilized.

SHRI SHIVANANDAN PRASAD MANDAL: (*a*), (*b*) and (*c*) A statement is placed on the Library table.

(*d*) and (*e*) Rs. 17,000 is being paid annually out of the savings of the estate in the following manner :—

	Rs.
1. Srimati Prabhavati Devi	9,000
2. Ramanandy Anathalaya, Bhagalpur ..	3,000

विधान कार्य :

सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS :

OFFICIAL BILLS :

विहार म्युनिसिपल (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२ (१९५२ की वि० सं० ९)।

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 1952 (BILL No. 9 OF 1952).

अध्यक्ष— प्रश्न यह है : प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित the Bihar Municipal Amendment Bill, 1952, पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष— खण्ड २ ।

श्री रामानन्द तिवारी * —मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :—

In clause 2 of the bill, the proviso to the proposed clause (ff) be deleted.

अध्यक्ष महोदय, यह लोकल सेल्फ-गवर्नमेन्ट की बात है । सारी दुनिया में जहाँ-जहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट है वहाँ-वहाँ स्वायत्त शासन विभाग को अधिक-से-अधिक अधिकार दिया जा रहा है । जहाँ एक तरफ केन्द्रीयकरण हो रहा है वहाँ दूसरी तरफ विकेन्द्रीयकरण की तरफ लोग जा रहे हैं । प्रोवीजो जिसके हटाने के लिये मैंने अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसके जरिये एक दर्वाजे से आप अन्दर आने का रास्ता दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पीछे की तरफ उस अधिकार का अपहरण कर रहे हैं । इसलिये मैं चाहता हूँ कि म्युनिसिपलिटी के स्वायत्त शासन के अधिकार में किसी तरह की रुकावट नहीं डाली जाय । आपने एक सीमा निश्चित कर दी है कि १२५) रु० से अधिक टैक्स लगाने का म्युनिसिपलिटी को कोई अधिकार नहीं है, फिर मैं नहीं समझता हूँ कि डरने की क्या बात है ? आपने दुनिया को दिखलाने के लिये अधिकार दे दिया कि जितना म्युनिसिपलिटी चाहे टैक्स लगावे और पीछे से इस अधिकार का अपहरण करते हैं । इसलिये जब तक यह प्रोवीजो रखते हैं तब तक म्युनिसिपलिटी को अधिकार देने का कोई मतलब नहीं होता । इंगलैंड में म्युनिसिपलिटीज को और भी अधिकार दिया गया है— वह दूसरे मामलों में भी टैक्स लगा सकती हैं और स्थानीय मामलों में उसको पूर्णतः अधिकार है । इस देश में जो भी अधिकार मिला है उसमें रुकावट डाली जाती है । हाँ, इसकी जरूरत होती जब ऐसा होता

* सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया ।

कि अब १२५) रुपया टैक्स लगाना है तो २००) रु० या ३००) रु० लगा दें या १२५) रु० के बदले २५) रु० लगावें— वहां खतरा है। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। इसलिये हमको सन्देह होता है कि सरकार ने जो अधिकार म्युनिसिपलिटी, लोकल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया है जिसको हमने विकेन्द्रीकरण कहा है उसको इस बिल द्वारा विकेन्द्रीयकरण करने जा रही है। बिहार एण्ड उड़ीसा म्युनिसिपल ऐक्ट, १९२२, में एक जगह ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया हुआ है कि म्युनिसिपल कमिश्नर या चेयरमेन कोई ऐसा काम करे जो इसके नियम के विपरीत हो तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगे बढ़ने से रोक सकता है तो फिर यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्लोज से क्या फायदा है? इसलिये मेरा यह कहना है कि इस प्रोवीजो को हटा दिया जाय। इस क्लोज के नहीं रहने से ही सचमुच अधिकार देंगे। ऐसा अधिकार और मुल्कों में म्युनिसिपलिटीज को मिला है।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका ऐजेन्ट है लेकिन म्युनिसिपलिटी के जो मेम्बर हैं वे जनता के प्रतिनिधि हैं। आप उन पर अविश्वास क्यों करते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप उनके अधिकारों पर प्रतिबन्ध न लगावें। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि सरकार ने जो प्रोवीजो लगाया है उसको हटा लेंगे। उनका जितना अधिकार है वह ठीक है और उनपर प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है।

श्री भोला पासवान—अध्यक्ष महोदय, श्री रामानन्द तिवारी ने जो प्रोभीजो का विरोध किया है मैं उसका विरोध करता हूँ। उन्हें भ्रम है कि म्युनिसिपल बोडिज के अधिकारों पर सरकार प्रतिबन्ध लगा रही है। म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें सरकार के सेंक्सन की जरूरत होती है। काम की सहूलियत के लिए ऐसा किया जाता है। म्युनिसिपलिटी के कामों में मदद करने के लिए ऐसा किया जाता है। यह कोई नई चीज नहीं है। इसलिए मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूँ सिर्फ चेक रखने के लिए ऐसा किया जाता है।

श्री रामानन्द तिवारी—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि चेक रखने के लिए यह प्रोवीजो लाया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि वे लगाना चाहते हैं तो क्यों? क्या म्युनिसिपल कमिश्नर्स जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं? जिस प्रकार हमलोग जनता के प्रतिनिधि चुनकर आये हैं उसी तरह म्युनिसिपल कमिश्नर्स भी जनता के प्रतिनिधि हैं। आप उन पर चेक लगाना क्यों चाहते हैं। जो मुनिसिपलिटी के चेयरमेन होंगे वे जनता के द्वारा चुनकर आवेंगे और उनको म्युनिसिपल

कामों में पूरी आजादी होनी चाहिए। यदि वे म्युनिसिपल कमिशनर्स नोमिनेटेड होते तो बात दूसरी थी। म्युनिसिपल एक्ट के सेक्शन ३८३ में भी आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को म्युनिसिपलिटी को सस्पेन्ड करने का अधिकार दिया है। मैं भ्रम में नहीं हूँ। हकीकत यह है कि सरकार चाहती है कि जनता को यह दिखावे कि हमने तुम्हारे निर्वाचित प्रतिनिधि को अधिकार स्थानीय शासन में पूरा-पूरा दे दिया है और इन मामलों में वे बिल्कुल स्वतन्त्र हैं और अपने बजट के अन्दर खर्च का हिसाब बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि आपका अंकुश उनपर बना रहे। आपको भ्रम है कि म्युनिसिपल कमिश्नर्स जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। इसलिए आप उनपर अंकुश रखना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अंकुश को आप हटा लें और उनको पूरी आजादी दे दें।

श्री भोला पासवान—श्री रामानन्द तिवारी ने जो बातें कहीं हैं उसमें तथ्य नहीं है। इसके संबंध में मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि जिस होल्डिंग का टैक्स एक दफा ठीक कर दिया जाता है उससे ज्यादा नहीं लगाया जा सकता है लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का सेक्शन लिया जाता है और सेक्शन ले लेने पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। हम सिर्फ चेक लगाना चाहते हैं लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर्स को काम करने का पूरा अधिकार है इसलिए इस प्रोभीजो को रखा गया है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :—

That the proviso to the proposed new clause (ff) be deleted.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह*—Sir, I beg to move :

That after the proviso to the proposed clause (ff) of sub-section (1) of section 82 of the Act, the following proviso be added, namely :

"Provided further that the said tax shall not be levied in any Municipality until the scheme for the supply of piped water under section 292 of the Act has been carried out."

अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटी को हाउस टैक्स, लेटरिन टैक्स लगाने का अधिकार है लेकिन यह नया अधिकार गवर्नमेंट टैक्स लगाने का ले रही है। यह टैक्स लगाने का नया प्रोभिजन है। जो प्रोभिजन है उससे पता चलता है कि जहां पर पाइप वाटर का प्रबन्ध नहीं भी है वहां पर यह टैक्स लगाया जायगा। हम चाहते हैं कि जहां पाइप

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

वाटर का इन्तजाम हो वहीं पर यह टैक्स लगाया जाय। ऐसा नहीं करने से बहुत सी म्युनिसिपैलिटियाँ पाइण्ड वाडर के नाम पर टैक्स वसूल कर इस पर खर्च नहीं करके म्युनिसिपलिटी के दूसरे फन्ड में डाइभर्ट कर देंगी और दूसरे कामों में लगा देंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इस अमेंडमेंट को मान लें। यह निर्दोष अमेंडमेंट है। इतना ही मेरा कहना है।

श्री जगत नारायण लाल—मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। विरोध करने का कारण यह है कि लोकल फाइनन्स इन्क्वरी कमिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्वायन्ट किया था उसने देश भर के म्युनिसिपैलिटी के फाइनेन्स की चर्चा की है। जाँच करके इस नतीजे पर पहुँची है (अभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में डिसकस्न नहीं है इसलिए उसकी ओर जाने की जरूरत नहीं है) कि उनकी हालत बहुत बुरी है। इसका कारण यह है कि फाइनेन्स की बहुत कमी है। म्युनिसिपैलिटी को होल्डिंग और लेट्रिन टैक्स लगाने का हक है, वह भी बहुत लिमिटेड है, १२½ प्रतिशत तक लगा सकते हैं। इतने फन्ड से नागरिकों की जो सेवा होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। जो एमेनेटीज मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। इसलिए लोकल फाइनेन्स इनक्वारी कमिटी ने रिकोमेंड किया कि टरमिनल टैक्स octroi इत्यादि लगाया जाय। मेरे यहां जो दिक्कत है उसको निवेदन करना चाहता हूँ। दिक्कत यह है कि टरमिनल टैक्स बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत के नहीं लगा सकते हैं।

अध्यक्ष—वह प्रश्न इतना व्यापक नहीं है। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जहां पाइप्ड वाटर का प्रबन्ध है वहीं पर यह टैक्स लागू हो। जहां पर पाइप्ड वाटर का प्रबन्ध न हो वहां पर यह लागू न हो। उनका अमेंडमेंट है :

"the said tax shall not be levied in any Municipality until the scheme for the supply of piped water under section 202 of the Act has been carried out."

श्री जगत नारायण लाल—मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसका रेफरेन्स इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ओबजेक्ट एन्ड रिजन्स में दिया हुआ है। मुख्यतः इस बिल का आशय यही है कि जहां पाइप्ड वाटर सप्लाइ में दिक्कत हो वहां पर इससे जो कुछ आय हो सके उसमें खर्च किया जाय। जहां पर इस तरह की गुंजाईश नहीं हो वहां पर इट बिल फॉर्म पार्ट ऑफ दि म्युनिसिपल फन्ड्स। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां म्युनिसिपल फन्ड इतना पूअर है कि वहाँ पर टैक्स लगाने की जरूरत है, उसपर रोक

लगाने की जरूरत नहीं है कि जहां पर पाइप्ड वाटर हो वहीं पर टैक्स लगे। आवश्यकता तो यह है कि इन्टरटेनमेंट टैक्स का भी हिस्सा यहां मिलता, यह नहीं कि टैक्स का विरोध किया जाय।

श्री भोला पासवान—अध्यक्ष महोदय, श्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने जो एमेंडमेंट पेश किया है उसको मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि बिल के एम्स एन्ड ओब्जेक्ट्स को पढ़ने से मालूम होता है कि इसमें पाइप्ड वाटर का प्रोविजन किया गया है। लोकल फाइनेन्स कमिटी की रिपोर्ट में है कि म्युनिसिपैलिटियों की माली हालत बहुत खराब है। इस रिपोर्ट में दो तीन सजेशन्स हैं जिनको पढ़कर मैं सुना देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि पाइप्ड वाटर के प्रोविजन के लिए टैक्सेज लगाने जा रहे हैं और उसीके मेनटेनेन्स में इसको खर्च किया जायगा। इसको मैं पढ़कर हुजूर को सुना देता हूँ।

> "We recommend that wherever there is no provision in the Municipal or Local Board Acts for the levy of profession tax, necessary provision should be incorporated. We are, however, not in favour of the tax being made compulsory in the case of all local bodies in India. It may be possible in the case of many local bodies to raise sufficient funds by the levy of tax and octroi or terminal tax, in such cases it may not be necessary to compel the local bodies to levy a profession tax in addition if they desire to do so. We would, however, like the State Government to have powers to compel a local body, which is not levying either house tax or terminal tax and profession tax. Unless a local body is levying at least two of these taxes, it will not have sufficient funds. We would, therefore, recommend the compulsory levy of profession tax under the orders of the State Government only in cases where only one of the other two taxes, house tax or terminal tax is being levied."

इसलिये जितना रुपया टैक्स से आयगा वह पाइप-वाटर सप्लाई के मेनटीनेन्स में खर्च होगा। पंचवर्षीय योजना के अन्दर कई नगरपालिकाओं में पाइप वाटर सप्लाई की योजना को लागू करने का स्कीम तैयार है। सरकार आधा खर्च ग्रांट के रूप में और आधा कर्ज के रूप में उन नगरपालिकाओं को देगी। प्रश्न उनके मेनटीनेन्स का है। उसके मेनटीनेन्स में ही प्रोफेशन टैक्स की आमदनी को लगाया जायगा।

श्री अबुल अहद मुहम्मद नूर—अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अर्ज किया है कि जो आमदनी होगी उसको पानी के इन्तजाम में खर्च किया जायगा। गो कि म्युनिसिपैलिटियों की हालत खराब है लेकिन तोभी उनको सड़क बनवाने, रोशनी का इन्तजाम

और दूसरे एमेनिटीज के लिये भी इन्तजाम करना पड़ता है। इसके लिये उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिये खर्च को पूरा करने के लिये आमदनी को बढ़ाना जरूरी हो जाता है। पटना में बराबर सुना जाता है कि पानी जमा है और इसका इन्तजाम म्युनिसिपैलिटी ठीक से नहीं कर रही है। इसके अलावे रोशनी का भी इन्तजाम ठीक नहीं है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—हुजूर, मैं जानना चाहता हूं कि यहां पाइप-वाटर सप्लाई के बारे में डिसकशन हो रहा है या जमें हुए पानी के निकालने के बारे में।

SHRI BHOLA PASWAN: Sir, I beg to move : that the further consideration of the Bihar Municipal (Amendment) Bill, 1952, be postponed until the next session of the Assembly.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है —

That further consideration of the Bihar Municipal (Amendment) Bill, 1952 be postponed until the next session of the Assembly.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।